बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

64वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 23/नियुक्ति–01–01/2017 सा॰प्र॰–3342, पटना–15, दिनांक 12.03.2018 द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों से अलग–अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए रिक्तियाँ प्राप्त हुई है, जिन्हें (आरक्षण कोटिवार) निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी हैं:–

सारणी – 01

क्र॰सं॰	विभाग/पद का नाम	वेतनमान/ग्रेड–पे	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ								कुल पद	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
			अनारक्षित (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिला (06)	FF 2%	विकलांग			
1.	पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	लेबल – 9	20	07	--	08	05	--	01	OH- 01 MD- 01	40	20 वर्ष	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष
2.	काराधीक्षक, गृह विभाग(कारा)	लेबल – 9	01	01	--	--	--	--	--	--	02	22 वर्ष	
3.	वाणिज्य कर पदाधिकारी, वाणिज्य–कर विभाग	लेबल – 9	03	01	--	04	01	01	--	--	10	22 वर्ष	
4.	अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	लेबल – 9	01	03	--	01	03	--	--	--	08	22 वर्ष	अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
5.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग	लेबल – 9	04	01	01	01	01	--	--	DD- 01	08	22 वर्ष	
6.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग	लेबल – 9	06	02	01	03	01	--	--	--	13	22 वर्ष	
7.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग	लेबल – 9	--	01	--	02	--	01	--	--	04	22 वर्ष	
8.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग	लेबल – 9	08	05	--	08	03	--	--	OH- 01	24	22 वर्ष	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
9.	प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा	लेबल – 9	13	04	--	04	03	01	--	VI- 01	25	22 वर्ष	
10.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	लेबल – 9	03	01	01	01	--	--	--	--	06	22 वर्ष	
11.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी), गृह विभाग (कारा)	9300-34800 G.P. PB-2 4800/- एवं चार वर्षों के बाद PB-3 5400/-	17	05	01	06	04	01	--	OH- 01	34	21 वर्ष	
12.	ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	9300-34800	02	--	--	--	--	--	--	--	02	22 वर्ष	
13.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग	9300-34800	09	--	--	04	01	--	--	--	14	22 वर्ष	
14.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग	लेबल – 7	13	01	--	03	04	--	01	DD- 01	21	21 वर्ष	
15.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग	लेबल – 7	27	15	--	03	04	04	01	OH- 01 DD- 01	53	21 वर्ष	
16.	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	लेबल – 7	314	91	01	110	32	23	11	VI- 06 OH- 05 DD- 06 MD-06	571	22 वर्ष	
17.	आपूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	लेबल – 7	110	41	--	44	27	01	04	VI- 02 OH- 02 DD- 02 MD-02	223	21 वर्ष	
18.	प्रखंड अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण विभाग	लेबल – 7	60	19	--	28	10	05	02	VI- 01 OH- 02 DD- 01 MD- 01	122	21 वर्ष	
19.	प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	लेबल – 6	38	12	01	13	09	02	01	VI- 01 OH- 01 DD- 01	75	22 वर्ष	
						Total -					1255		

टिप्पणी: 1. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – 2342, दिनांक 15.02.2016, पत्रांक – 2526, दिनांक 18.02.2016 एवं पत्रांक – 11364, दिनांक 04.09.2017 के आलोक में क्रमशः महिलाओं एवं बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुकूल देय है, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक – 13062, दिनांक 12.10.2017 के अनुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षण देय होगा।

2. उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

3. **शैक्षिक योग्यता:–** ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।

4. **आरक्षण:–** (i) आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।**

(ii) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

(iii) **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं०– 673, दिनांक– 08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :–**

(a) जाति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :–

(a) जाति प्रमाण पत्र,

(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)**

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले विकलांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय आयोग द्वारा उसकी मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सके।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vi) **भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण** – सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) की तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5. **उम्र सीमा:–** दिनांक 01.08.2018 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)– 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष। सारणी – 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 एवं 19 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष एवं क्रम संख्या 11, 14, 15, 17 एवं 18 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1 के लिए 20 वर्ष होना आवश्यक है।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iv) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन॰सी॰सी॰ में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन॰सी॰सी॰ से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन॰सी॰सी॰ में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त्तें पूरी करते हैं।

(v) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vi) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त–समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

(viii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(ix) **उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।**

6. शारीरिक क्षमता : बिहार पुलिस सेवा के लिए पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित ज़ाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

7. मेधा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के निमित्त, संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायेगा। **संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अन्तर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अन्तिम परीक्षाफल हेतु बनायी जानेवाली मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।**

8. शुल्कः केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों एवं राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए 150/– (एक सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 600/– (छः सौ) रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया।

भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

9. प्रारम्भिक परीक्षा :

(i) संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

(iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

10. (i) **प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(ii) **प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।**

(iii) **मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत है –**

क्रम संख्या	विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11.	भू–विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22.	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	37

उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय को मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।

11. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

12. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबावदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

13. **<u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–</u>**

(i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	**03.08.2018 से 20.08.2018 तक**
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	**24.08.2018 तक**
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की **अंतिम तिथि**	**31.08.2018 तक**

नोट–1: **जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अगली तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।**

नोट–2: **जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसके अगले तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form** भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अतः अभ्यर्थी दिनांक– **24.08.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) **उम्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।**

(iv) **ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई॰डी॰ अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई॰डी॰ अंकित नहीं करेंगे।**

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(viii) **इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(ix) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

14. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) **अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।**

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

(iv) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

(v) **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

(vi) **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निदेश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

(vii) **आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

15. इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

2.8.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

JobSarkari.com